

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

-: विज्ञापन :-

क्रमांक- 03/2023

रामानुजगंज, दिनांक 03/07/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि-02.08.2023
दिन-बुधवार की संध्या 05:00 बजे तक
आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के अंतर्गत "आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर)" के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अ0ज0जा0				अ0जा0				अ0पि0वर्ग				अनारक्षित पद			
		मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
आकस्मिकता निधि	06	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग-	06	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(वाटरमैन-02, चौकीदार-02, स्वीपर-02, कुल- 06 पद)																	

वेतनमान - कलेक्टर बलरामपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन।


1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता : कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अन्य योग्यता व अनुभव : सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हों तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं कम्प्यूटर इत्यादि प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

टीप :-

परीक्षा केन्द्र का नाम एवं समय की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के दो दिवस पूर्व तक यदि प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र कार्यालय


अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय

बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) से कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा जिला न्यायालय के वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg से डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकते हैं।

2. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

- (i) (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (ii) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् 40 वर्ष आयु सीमा की छूट होगी।
- (iii) आवेदक को अच्छे चरित्र और स्वस्थ मन एवं शरीर का होना चाहिए और ऐसी मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए जो उसे आवेदित पद के अयोग्य बनाता हो।
- (iv) आवेदक का एक से अधिक जीवित पति/पत्नि नहीं होना चाहिए।
- (v) आवेदक को नैतिक अधमता (Moral Turpitude) से युक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

(4) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

- निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-
- 4 (एक)(1)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
 - 4 (एक)(2)- यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।
 - 4 (एक)(3)- छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।


अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

4 (एक)(4)- ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

4 (एक)(5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक)(6)- महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक)(7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक)(8)- स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक)(9)- विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

4 (दो)(1)- आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4 (दो)(2)- राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।


अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय

बलरामपुर-रामानुजगंज (उ.ग.)

4 (दो)(3)- उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :- (1) बिन्दु क्रमांक 4 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिन्दु क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

(5) उपरोक्त 4 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(6) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(7) आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg पर अपलोड किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईट में घोषित की जा सकेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।


अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय


जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

- (8) दावा/आपत्ति के निराकरण पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आर्बिटिट किया जावेगा। आर्बिटिट रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg पर अपलोड की जाएगी तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जा सकेगी। जिला एवं सत्र न्यायालय, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के सूचना बोर्ड पर भी योग्य उम्मीदवारों की सूची चस्पा की जाएगी तथा परीक्षा/साक्षात्कार हेतु पात्र अभ्यर्थियों को सूचना डाक के द्वारा भी दी जावेगी। उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोल नम्बर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंट्टाई (Short-listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- 1- आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2023, दिन-बुधवार की संध्या 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम- “आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी” लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) पिन कोड- 497220 के पते पर प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 02.08.2023, दिन बुधवार की संध्या 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। अंतिम तिथि उपरांत एवं अन्य किसी माध्यमों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं पांच-पांच रूपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 2- जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- 3- ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- 4- डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और इस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर) के समस्त पद हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें।
6. ई-मेल अथवा फैंक्स के माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।



अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

चयन प्रक्रिया

- 1- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) को होगा।
- 2- अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर अभ्यर्थियों की छंटाई के उद्देश्य से चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत विज्ञापित पद हेतु छंटाई, पद की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर भी की जा सकती है।
- 3- अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
- 4- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5- चयनित उम्मीदवार की सेवा पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अध्याधीन होगी।
- 6- चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. आकस्मिकतानिधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर)

(अ) साक्षात्कार

आकस्मिकतानिधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर) के पद हेतु अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर साक्षात्कार लिया जावेगा।


अध्यक्ष

चयन समिति

जिला एवं सत्र न्यायालय

बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

टीप :- मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत साक्षात्कार के आधार पर चयन हेतु मेरिट-लिस्ट तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएं

(अ) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीद्वारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(ब) उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची जिला न्यायालय के वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg एवं सूचना-पटल पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति सात दिवस के भीतर दावा संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(स) अभ्यर्थियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में स्वयं का मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करते समय मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने पर मास्क हटाकर अपनी पहचान दिखाई जावेगी।

(द) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरिक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

योग्य पाये गये उम्मीदवारों को उनका प्रवेश पत्र डाक द्वारा उनके पते पर भेजा जावेगा, किन्तु समय पर उन्हें प्राप्त न होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जिला न्यायालय के वेबसाइट https://districts.ecourts.gov.in/balrampur_chg से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

अनुमोदित
[Signature]

District & Sessions Judge
Balrampur at Ramanujanj (C.G.)

[Signature]
03/7/23
अध्यक्ष
अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

{आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु}

//आवेदन पत्र//

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बलरामपुर स्थान रामानुजगंज (छ.ग.)

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम रंगीन
पासपोर्ट साईज
का फोटो

1. आवेदित पद का नाम- “आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी”
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
3. लिंग- पुरुष, संकेतांक-1, महिला संकेतांक-2
4. पिता/पति का नाम
5. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता
(हिन्दी में)
.....
ब) स्थायी पता
.....
.....
6. अ) जन्म तिथि - अंको में
शब्दों में
- ब) दिनांक 1/1/2023 को आयु:- वर्ष माह दिन
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
8. क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें।

10. क्या आवेदक दिव्यांग है? हां/नहीं
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
11. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत
12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
13. रोजगार कार्यालय की जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक
14. रोजगार कार्यालय का नाम
15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6

16. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)
17. क्या आप निर्धारित आयुसीमा में छूट चाहते हैं? हां/नहीं
18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है और यदि वे झूठे या गलत पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति के किसी भी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता